WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263985
CG-DL-E-19062025-263985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947
No. 357]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

सं. 17/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 400(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "किसी भी रूप में प्रीटिलाक्लोर और इसके मध्यवर्ती-2, 6- डायथाइल-एन-(2-प्रोपॉक्सी इथाइल) एनिलीन (जिसे पीईडीए भी कहा गया है)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2921 42 50, 2921 42 90, 2922 19 11, 2922 19 12, 2922 19 19, 2922 19 90,2922 29 90,3808 91 93, 3808 91 99, 3808 93 91, 3808 93 99, 3808 99 11, 3808 99 12, 3808 99 91, 3808 99 92, और 3808 99 99 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 6/31/2023-डीजीटीआर, दिनांक 21 मार्च, 2025 जिसे दिनांक 21 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ii) विषयगत वास्तु की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई;

(iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 42 50, 2921 42 90, 2922 19 11, 2922 19 12, 2922 19 19, 2922 19 90,2922 29 90,3808 91 93, 3808 91 99, 3808 93 91, 3808 93 99, 3808 99 11, 3808 99 12, 3808 99 91, 3808 99 92, और 3808 99 99*	किसी भी रूप में प्रीटिलाक्लोर और इसके मध्यवर्ती-2, 6- डायथाइल-एन-(2-प्रोपॉक्सी इथाइल) एनिलीन (जिसे पीईडीए भी कहा गया है)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	अनहुई फुटियन एग्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	1,305.6	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	इनर मंगोलिया लैंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	1,556.9	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	लायन एग्रेवो (नानटोंग) कंपनी लिमिटेड	1,246.9	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

4	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	हांग्जो न्यूट्रीकेम कंपनी लिमिटेड	1,976.2	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कैपिटल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, / शेडोंग क्रियाओचांग मॉडर्न एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड, / शेडोंग क्रियाओचांग मॉडर्न इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड / क्यूसीसी शंघाई कंपनी लिमिटेड,	1,591.2	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्र.सं. 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	2,017.9	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	2017.9	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और एंटी-डंपिंग शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/23/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2025

No. 17/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 400(E).—Whereas, in the matter of "Pretilachlor in any of its form & its intermediate – 2, 6-Diethyl-n-(2-propoxy ethyl) Aniline (also known as PEDA)" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 2921 42 50, 2921 42 90, 2922 19 11, 2922 19 12, 2922 19 19, 2922 19 90,2922 2990,3808 91 93, 3808 91 99, 3808 93 91, 3808 93 99, 3808 99 11, 3808 99 12, 3808 99 91, 3808 99 92 and 3808 99 99 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/31/2023-DGTR, dated the 21st March, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 21st March, 2025, has, *inter alia*, come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the dumping of the subject goods has resulted in material injury to the domestic industry in India;

(iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Tarrif Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2921 42 50, 2921 42 90, 2922 19 11, 2922 19 12, 2922 19 19, 2922 19 90, 2922 2990, 3808 91 93, 3808 91 99, 3808 93 91, 3808 93 99, 3808 99 11, 3808 99 12, 3808 99 91, 3808 99 92, and 3808 99 99*	Pretilachlor in any of its form and its intermediate "2,6-diethyl-n-(2-propoxy ethyl) aniline" (also known as PEDA)	China PR	Any country including China PR	Anhui Futian Agrochemical Co., Ltd.	1,305.6	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Inner Mongolia Lange Biotechnology Co., Ltd.	1,556.9	MT	USD

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

S. No.	Tarrif Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Lion Agrevo (Nantong) Co., Ltd.	1,246.9	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Hangzhou Nutrichem Co., Ltd.	1,976.2	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Capital Industry Construction Technology Co., Ltd., / Shandong Qiaochang Modern Agriculture Co., Ltd, / Shandong Qiaochang Modern International Co., Ltd / QCC ShangHai Co., Ltd.,	1,591.2	MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer other than SN 1, 2, 3, 4 and 5	2,017.9	MT	USD
7.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	2017.9	MT	USD

***Note:-** Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/23/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.